

छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक - 45

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 30, 1944)

कार्यमंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश को सदन द्वारा गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. <u>वित्तीय कार्य</u> -	<u>निर्धारित समय</u>
वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	3 घंटे
2. <u>विधि विषयक कार्य</u>	
(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022.	1 घंटा
(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022.	30 मिनट
(3) छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022.	30 मिनट
(4) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022.	30 मिनट
(5) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022.	30 मिनट
(6) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022.	15 मिनट
(7) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022.	15 मिनट
(8) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022.	15 मिनट
(9) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022.	15 मिनट
(10) छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022.	45 मिनट

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

